रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 415] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 20, 2019/कार्तिक 29, 1941
No. 415] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 20, 2019/KARTIKA 29, 1941

केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2019

सं. सी यू के/एसटीएटी/संशोधन/12.—कोर्ट के गठन से संबंधित केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय की संविधि 10 का संशोधन

धारा 26 (ख) जो धारा 27(2) एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की संविधि 10 के साथ पढ़ाया जाए।

मौजूदा संविधि 10 की धारा (6)	संविधि 10 की धारा (6) का संशोधन
(6) निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय के द्वितीय कोर्ट का गठन;	(6) निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कोर्ट का गठन;

डॉ. ए. राधाकृष्णन नायर, कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4 असा./302/19]

CENTRAL UNIVERSITY OF KERALA

NOTIFICATION

New Delhi the 15th November, 2019

No. CUK/STAT/Amendment/12.—Amendment to Statute 10 of Central University of Kerala on the constitution of the Court

Section 26(b) read with Section 27(2) and Statute 10 of Central Universities Act, 2009

Existing Clause(6) of Statue 10	Amendment to Clause (6) of Statue 10
(6) Constitution of the Second Court of Central	
University of Kerala with the following members.	

Dr. A. RADHAKRISHNAN NAIR, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./302/19]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.11.22 13:03:53 +05'30'